कानपुर नगर निगम,

(जे.एन.एन.यू.आर.एम.–प्रोजेक्ट सेल)

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय
उ0 प्र0 8वाँ तल
इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

पत्रांकः 2636/31/5/ दिनांकः 20/7/09

विषयः– जे.एन.एन.यू.आर.एम.योजना के यू0आई0जी0 कार्यान्श में कानपुर नगर कीं पेयजल (द्वितीय भाग) हेतु नगर निगम कानपुर का अंश मा0 कांशीराम नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपकों अवगत कराना है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत यू0आई0जी0 कार्याश में कानपरु नगर की पेयजल योजना का द्वितीय भाग, केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक 22जनवरी,2009 को स्वीकृत हो चुकी है। यह योजना कार्यकारिणी की बैठक में दिनांक 16.07.2008 में धनांक 425.28 करोड़ रूपया अनुमोदित हुई थी तथा उक्त परियोजना लागत के अनुसार 148.58 करोड़ रूपया ऋण के रूप में धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

उक्त योजना भारत सरकार से अप्रेजल के पश्चात 374.4592 करोड रूपये की रह गयी है। जिसके सापेक्ष 112.33776 करोड़ रूपये नगर निगम का अंश होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम का अंश रूपये 112.33776 करोड़ की धनराशि कि स्वीकृति मा0 कांशीराम नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने की संस्तृति नगर विकास विभाग उ0 प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। जिससे योजना के अन्तर्गत नगर निगम का अंश उपलब्ध हो सकें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग अनुभाग–5 उ0 प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0 के0 पाण्डेय)
नगर आयुक्त

(2)

नगर निगम सदन दिनांक 16.7.2008 पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव सं0 11० की यथावत प्रतिलिपि ।

प्रस्ताव

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 7.6.2008 के प्रस्ताव संख्या–639 जो सदन को अग्रसारित है पर विचार करना ।

विशेष प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजना को नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 31.8.2008 मे प्रस्ताव संख्या द्वारा सैद्वान्तिक रूप से स्वीकार किया गया था, के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम द्वारा निम्नानुसार योजनाएँ तैयार करायी गयी है:–

कम सं0	योजना	अनुमानित व्यय(रू0करोड में)	स्थानीय निकाय का 30प्रतिशत अंशदान (रू0 करोड मे)
1.	सीवरेज	133.75	40.12
2.	जलापूर्ति	495.28	148.58
योग		**628.83**	**188.70**

प्रस्तावित योजनाओं मे होने वाले कुल व्यय का 30 प्रतिशत अंश निगम को व्यय करना होगा । परियोजना मे सृजित सम्पत्ति का रख –रखाव नगर निगम द्वारा (पेयजल एंव सीवरेज का जल संस्थान के माध्यम से) अथवा अन्य पैरास्टेटल से अनुबन्ध कर किया जाना है तथा इस परियोजना मे आवश्यक भूमि की व्यवस्था नगर निगम द्वारा (पेयजल एंव सीवरेज योजनाओं के लिए जल संस्थान अन्य पैरास्टेटल के माध्यम से) की जानी है । उपर्युक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

---------सर्व सम्मति से कार्यकारिणी के उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया ।

यथावत प्रतिलिपि

7/8/08

सचिव (न० नि०)
नगर निगम, कानपुर

(1)

नगर आयुक्त के पत्र संख्या 62एन0यू0आर0एम0/एम0 दिनांक 31.05.2007 को नगर निगम की धारा............ के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी/सदन के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

विशेष प्रस्ताव

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना को नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 31.08.2008 में प्रस्ताव संख्या   द्वारा सैद्धादान्तिक रूप से स्वीकार किया गया था, के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम द्वारा निम्नानुसार योजनाएँ तैयार कराई गई है :–

क0 सं0	योजना	अनुमानित व्यय(रू0 करोड़ में)	स्थानीय निकाय का 30% अंशदान (रू0 करोड़ में)
1	सीवरेज	133.75	40.12
2	जलापूर्ति	495.28	148.58
योग		628.83	188.70

प्रस्तावित योजनाओं में होने वाले कुल व्यय का 30% अंश निगम को व्यय करना होगा। परियोजना में सृजित सम्पत्ति का रख–रखाव नगर निगम द्वारा (पेयजल एवं सीवरेज का जल संस्थान के माध्यम से) अथवा अन्य पैरास्टेटल से अनुबन्ध कर किया जाना है तथा इस परियोजना में आवश्यक भूमि की व्यवस्था नगर निगम द्वारा (पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं के लिये जल संस्थान/अन्य पैरास्टेटल के माध्यम से) की जानी है। उपर्युक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विशेष प्रस्ताव–2

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना एक निर्धारित समयावधि की है, प्रस्तावित सीवरेज योजना की धनराशि का 50प्रतिशत धनराशि रूपया 66.88 करोड़ केन्द्रांश, 20प्रतिशत की धनराशि रूपया 26.75 करोड़ राज्यांश एवं स्थानीय निकाय का अंशदान 30% रूपया 40.12 की धनराशि देय है। इसी प्रकार जलापूर्ति योजना हेतु प्रस्तावित धनराशि का 50प्रतिशत धनराशि रूपया 247.64 करोड़ केन्द्रांश, 20प्रतिशत की धनराशि रूपया 99.06 करोड़ राज्यांश एवं स्थानीय निकाय का अंशदान 30% रूपया 148.58 की धनराशि देय है। निकाय के अंशदान की व्यवस्था के लिये निगम संसाधनों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार शासन के रिवाल्विंग फण्ड से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी लेना होगा, जिसकी अदायगी निगम के राजस्व स्रोत व वसूली में ग्रान्ट तथा अवस्थापना मद में उपलब्ध धनराशि से की जायेगी। पेयजल एवं सीवरेज की योजना हेतु लिये गये ऋण की वापसी के लिये धनराशि उपलब्ध कराने हेतु जल संस्थान से आन्तरिक अनुबन्ध करना होगा।

उपर्युक्त विषय नगर निगम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

31.5.08

मुख्य अभियन्ता	अपर नगर आयुक्त	नगर आयुक्त
कानपुर नगर निगम	कानपुर नगर निगम	कानपुर नगर निगम

(५५)

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कानपुर ।

सेवा में,

निदेशक ,
स्थानीय निकाय उ0प्र0,
8वॉ इन्दिरा भवन ,
लखनऊ ।

पत्रांक : डी/55/पी.ए./प्रोजेक्ट

दिनांक :29-12-2007

महोदय ,

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजनान्तर्गत कानपुर नगर निगम के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, जलापूर्ति तथा मलोत्सारण (सीवरेज) की कुल 3 परियोजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकाय के 30 प्रतिशत अंश के रूप में कुल रू0 150.83 करोड़ धनराशि वांछित है , जिसके लिये नगर निगम सदन की दिनांक 27.12.2007 को सम्पन्न हुयी बैठक में राज्य सरकार के रिवाल्विंग फण्ड से इस धनराशि को ब्याज रहित ऋण के रूप में लिये जाने की स्वीकृत प्राप्त कर ली गयी है । नगर निगम सदन द्वारा इस सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार रू0 150.83 करोड़ (एक सौ पचास करोड़ तिरासी लाख रू0 मात्र) धनराशि राज्य सरकार के रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में कानपुर नगर निगम के लिये स्वीकृत कराने हेतु यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोक्त् ।

भवदीय ,

(मणि प्रसाद मिश्र)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ ।

29.12.07
(मणि प्रसाद मिश्र)
नगर आयुक्त

31.12.07

कानपुर नगर निगम

नगर निगम (सदन) की दिनांक २७.१२.२००७ दिन गुरूवार को सम्पन्न हुयी विशेष बैठक के प्रस्ताव सं० ७८ की यथावत प्रतिलिपि

<u>प्रस्ताव संख्या ७८</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या ५०/जे०एन०एन०आर०एम०(प्रोजे०/एम०सी०/ ०७-०८ दिनांक २२.१२.२००७ नगर निगम की धारा के अन्तर्गत माननीय सदन के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रेषित ।

विशेष प्रस्ताव

नगर निगम सदन की दिनांक ३१-०५-२००७ को सम्पन्न हुई बैठक मे प्रस्ताव संख्या २३ के अन्तर्गत जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना के विशेष प्रस्ताव को सदन की पूर्व मे सम्पन्न बैठक दिनांक ३१-०८-२००५ के प्रस्ताव संख्या १०० के अनुक्रम मे स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अन्तर्गत समय-समय पर चयनित परियोजनाओ के लिये डी०पी०आर० तैयार कर राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है । उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव संख्या २३ मे नगर निगम की तत्समय तक प्रस्तावित योजनाओ के सापेक्ष रू० ३४०.०० करोड (रू०तीन सौ चालीस करोड मात्र) रिवाल्विंग फण्ड से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इसी बीच कानपुर नगर निगम द्वारा वर्तमान आवश्यकताओ एवं प्राथमिकताओ को देखते हुए प्रस्तुत की गई योजनाओ मे से अब तक तीन परियोजना[illegible] सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

इनमे से प्रथम परियोजना म्युनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित है । इस परियोजना की स्वीकृत लागत ५६.२४ करोड रूपये (छप्पन करोड चौबीस लाख रूपये मात्र) की है एवं इसकी स्वीकृति माह मार्च, २००७ मे भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृत परियोजना की लागत के सापेक्ष भारत सरकार का अंशदान ५० प्रतिशत अर्थात २८.१२ करोड रूपये (अठाइस करोड बारह लाख रूपये मात्र)

सचिव ([illegible])
नगर निगम, [illegible]

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप मे प्राप्त होगा । कुल लागत का २० प्रतिशत अर्थात ११.२५ करोड रूपये (ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख रूपये मात्र) राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप मे दिया जायेगा , इसी प्रकार कुल लागत का ३० प्रतिशत अर्थात १६.८७ करोड रूपये (सोलह करोड सत्तासी लाख रूपये मात्र) नगर निगम कानपुर द्वारा स्थानीय निकाय के अंशदान के रूप मे वहन किया जायेगा । नगर निगम द्वारा वहन किये जाने वाले १६.८७ करोड रूपये (सोलह करोड सत्तासी लाख रूपये मात्र) मे से ४.२० करोड रूपये (चार करोड बीस लाख रूपये मात्र) की धनराशि बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मद से इस परियोजना हेतु खोले गये खाते मे जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है । अब नगर निगम कानपुर द्वारा इस परियोजना मे १२-६७ करोड रूपये अंशदान के रूप मे और दिये जाने है , जिसके लिये उत्तर प्रदेश शासन से रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति वांछित है ।

इसी प्रकार द्वितीय परियोजना जलसम्पूर्ति से सम्बन्धित है , जिसे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक २६.१०.२००७ को स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसकी लागत २७०.०० करोड रूपये (दो सौ सत्तर करोड रूपये मात्र) है । इस लागत मे से भारत सरकार द्वारा ५० प्रतिशत अर्थात १३५.०० करोड रूपये (एक सौ पैतीस करोड रूपये मात्र) तथा राज्य सरकार द्वारा २० प्रतिशत अर्थात ५४.०० करोड रूपये (चौवन करोड रूपये मात्र) अनुदान के रूप मे दिया जाना है । नगर निगम कानपुर द्वारा ३० प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष, प्रथम वर्ष मे १६.१८ करोड रूपये (सौलह करोड अठारह लाख रूपये मात्र) , द्वितीय वर्ष मे ३२.३६ करोड रूपये (बत्तीस करोड छत्तीस लाख रूपये मात्र) तथा तृतीय वर्ष मे ३२.३६ करोड रूपये (बत्तीस करोड छत्तीस लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल ८०.९० करोड रूपये (अस्सी करोड नब्बे लाख रूपये मात्र) का अंशदान देय है ।

तृतीय परियोजना मलोत्सारण (सीवरेज) से सम्बन्धित है , जिसकी स्वीकृति दिनांक ०६.१२.२००७ को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है । इस परियोजना की लागत १९०.८८ करोड रूपये (एक सौ नब्बे करोड अठठासी लाख रूपये मात्र) है । भारत सरकार द्वारा कुल लागत मे ५० प्रतिशत अर्थात ५४.४४ करोड (चौवन करोड चवालिस लाख रूपये मात्र) तथा राज्य सरकार द्वारा २० प्रतिशत अर्थात ३८.१८ करोड (अडतीस करोड अठठारह लाख रूपये मात्र) अनुदान के रूप मे दिया जाना है । कानपुर नगर निगम द्वारा उक्त परियोजना हेतु ३० प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष वर्षवार कमश: प्रथम वर्ष मे ५.७३ करोड (५ करोड तिहतर लाख रूपये मात्र) , द्वितीय वर्ष मे २२.९० करोड (बाइस करोड नब्बे लाख रूपये मात्र) , तृतीय वर्ष मे १७.१८ (सत्रह करोड अठठारह लाख रूपये मात्र) , चतुर्थ वर्ष में ११.४५ (ग्यारह करोड पैतालिस लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल ५७.२६ करोड (सत्तावन करोड छब्बीस लाख रूपये मात्र) अंशदान के रूप मे देय है ।

यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जलापूर्ति तथा मलोत्सरण (सीवरेज) का दायित्व मूलत: कानपुर जल संस्थान का है । कानपुर जल संस्थान द्वारा प्रश्नगत दोनो ही परियोजनाओ पर होने वाले व्यय के शहरी स्थानीय निकाय के अंश को कानपुर नगर निगम की ओर से वहन करने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियो का परिचालन तथा रख-रखाव पर होने वाले व्यय को वहन

सचिव (न० नि०)
नगर निगम, कानपुर

करने की वचनबद्धता प्रदान की गयी है । इसी वचनबद्धता के आधार पर कानपुर नगर निगम द्वारा इस परियोजनाओ को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया ।

अत: उपर्युक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु १२.६७ करोड (बारह करोड सडसठ लाख रूपये मात्र) , जलापूर्ति तथा मलोत्सारण (सीवरेज) योजनाओं हेतु क्रमश: ८०.९० करोड (अस्सी. करोड नब्बे लाख रूपये मात्र) तथा ५७.२६ करोड (सत्तावन करोड छब्बीस लाख रूपये मात्र) अ र्थात कुल १५०.८३करोड (एक सौ पचास करोड तिरासी लाख रूपये मात्र) शहरी स्थानीय निकाय अंशदान के रूप मे कानपुर नगर निगम के पक्ष मे रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप मे उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा० नगर निगम सदन के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है । धनराशि का विवरण सारांशत: एक दृष्टि मे निम्नवत् है :-

क० सं०	परियोजना का नाम	२००७-०८	२००८-०९	२००९-१०	२०१०-	कुल करोड रूपये
१.	सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट	४.२०	४.२०	४.२७	-	१२.६७
२.	जल सम्पूर्ति	१६.१८	३२.३६	३२.३६	-	८०.९०
३.	सीवरेज	५.७३	२२.९०	१७.१८	११.४५	५७.२६
	योग :-	२६.११	५९.४६	५३.८१	११.४५	१५०.८३

निर्णय

-------उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात कानपुर नगर के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए सदन द्वारा ध्वनिमत से सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु १२.६७ करोड , जलापूर्ति परियोजना हेतु ८०.९० करोड तथा मलोत्सारण (सीवरेज) परियोजना हेतु ५७.२६ करोड रूपया अर्थात कुल १५०.८३ करोड रूपये (एक सौ पचास करोड तिरासी लाख रूपये मात्र) धनराशि को कानपुर नगर निगम के पक्ष मे राज्य सरकार के रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप मे प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यथावत प्रतिलिपि

हस्ताक्षर महापौर

सचिव (न० नि०)
नगर निगम, कानपुर